UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्तिभवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2860–औ0सं0/2020–64–ए0एस0/02 दिनांक : 26 सितम्बर, 2020

ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/
विद्युतवितरणनिगम लि0 एवंकेस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः–विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 जिसमें 17 संगठन सम्मिलित है, द्वारा पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के विघटन एवं निजीकरण के विरोध में प्रान्तव्यापी आन्दोलन की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "**विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0**"जिसमें 17 संगठन सम्मिलित है, ने पत्र संख्या–56/संघर्ष दिनांक 24.09.2020 द्वारा पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के विघटन एवं निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सभी जनपदों व परियोजनाओं में सरकार एवं प्रबन्धन के ध्यानाकर्षण हेतु दिनांक 24.09.2020 से चल रहे विरोध सभाओं के क्रम में निम्नवत् प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम से अवगत कराया हैं :–

1. सभी जनपदों व परियोजनाओं पर सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक विरोध सभाओं का क्रम दिनांक 28.09.2020 तक जारी रहेगा।
2. दिनांक 28.09.2020 को शहीद–ए–आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर, राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपदों व परियोजनाओं पर सायंकाल 5.00 बजे मशाल जुलूस निकाले जायेंगे।
3. दिनांक 29.09.2020 से सभी ऊर्जा विभागों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्य बहिष्कार कर विरोध सभायें करेंगे।उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए कार्य बहिष्कार में उत्पादन गृहों व 400/765 के0वी0उपकेन्द्र में पाली में कार्यरत बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार से मुक्त रखे जायेगें।
4. 05 अक्टूबर, 2020 से सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता पूरे दिन वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सहित पूर्ण कार्य बहिष्कार कर विरोध सभायें करेंगे। बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप न हो जाये अतः उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए कार्य गहिष्कार में उत्पादन ग्रहों व 400/765 क0वी0 उपकेन्द्र में पाली में कार्यरत बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार से मुक्त रखे जायेंगे।

अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–540/24–पी–2–20–1(121)/04 दिनांक 03.07.2020 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–1821–औ0सं0/17/पाकालि/2020–159–ए/67 दिनांक 16.07.2020 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार करना, रैली अथवा मशाल जुलूस निकालना एवं वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार इत्यादि न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। उल्लेखनीय है कि कार्यालय समय पर उपरोक्त किसी भी प्रकार की कार्यवाही पूर्णतः अवांछनीय एवं प्रतिबन्धित है।इस पर आपके स्तर से अविलम्ब कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि किसी भी प्रकार से जनता एवं विभाग का हित प्रभावित न हो सके।

आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 24.09.2020 से प्रस्तावित ध्यानाकर्षण नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये । कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–2860–औ0सं0/2020, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः....2...../–

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/ लखनऊ आगरा एवं कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0 (केस्को)।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
9. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
10. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0/ 223
एस0पी0ओ0